

पक्षकार — छ0ग0 राज्य वि0 विरेन्द्र कुर्रे प्र0 क0 198/18

Witness No. 06 For अभियोजन साक्षी 06 Deposition taken

the 11-03-2019 day of. सोमवार witness's apparent age 22 वर्ष

States on affirmation शपथपूर्वक my name is.. अर्जुन पिता बांके लाल
occupation मजदुरी address जगन्नाथ पुरी ओडिसा

मुख्य परीक्षण द्वारा श्रीमती सुनिता तोमर एजीपी वास्ते अभियोजन

1— मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं पहचानता हू। पुलिस ने मेरे सामने कोई कार्यवाही नहीं किया था। मुझे कोई नोटिस नहीं मिला था। साक्षी को प्रदर्श पी-4 का नोटिस दिखाये जाने पर साक्षी उनके उसके ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। पुलिस ने मेरे सामने आरोपी से पूछताछ नहीं किया था और ना ही किसी प्रकार की जप्ती हुई थी।

2— साक्षी को मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3 एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 दिखाये जाने पर साक्षी ने उस पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

नोट— इस स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी विचार बाद अनुमति दी गई।

3— यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझे आरोपी विरेन्द्र कुर्रे से पूछताछ के संबंध में मुझे नोटिस दिया था। यह कहना गलत है कि पुलिस ने प्रदर्श पी-4 का नोटिस देने के उपरांत उस पर मेरे हस्ताक्षर लिए थे। यह कहना गलत है कि आरोपी विरेन्द्र ने मेरे सामने मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3 के ब से ब भाग का कथन पुलिस को दिया था। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे सामने आरोपी से एक सैमसंग जे-7 का मोबाईल जप्त किया था।

4— यह कहना गलत है कि पुलिस ने आरोपी का मेमोरेण्डम कथन दर्ज करने के उपरांत प्रदर्श पी-3 के स से स भाग पर हस्ताक्षर कराये थे। पुलिस ने आरोपी से मेरे सामने मोबाईल जप्त करने के बाद में प्रदर्श पी-5 के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। यह कहना गलत है कि पुलिस ने आरोपी को मेरे सामने

गिरफ्तार किया था। यह कहना गलत है कि मैं आज आरोपी से मिल गया हूँ और उसे बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा हूँ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एच0 एस0 धृतलहरे वास्ते आरोपी

5— मैं आजाद चौक थाना के टीआई का गाड़ी चलाता हूँ। मैं लगभग दो साल से उनका वाहन चलाता हूँ। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रदर्श पी-3, 4 एवं 5 के दस्तावेजों पर टीआई के कहने पर हस्ताक्षर किया था।

वाचित स्वीकृत

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(चन्द्र कुमार कश्यप)
प्रथम अति.सत्र न्यायाधीश के
चतुर्थ अति. न्यायाधीश रायपुर छ.ग.

(चन्द्र कुमार कश्यप)
प्रथम अति.सत्र न्यायाधीश के
चतुर्थ अति. न्यायाधीश रायपुर छ.ग.

गवाह के हस्ताक्षर—